सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 17, सोमवार, *शाके* 1947- अप्रेल 07, 2025 *Chaitra 17, Monday, Saka 1947- April 07, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जून 27, 2024

जी.एस.आर.08 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्यपाल सचिवालय (राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्यपाल सचिवालय (राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

(क) **"प्रशासनिक विभाग"** से सामान्य प्रशासनिक विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय, अभिप्रेत है;

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अनूसूची I, II और III में सम्मिलित पदों के संबंध में राज्यपाल का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तथा अनूसूची IV में सम्मिलित पदों के संबंध में राज्यपाल का उप-सचिव अभिप्रेत है और इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जो राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये;

(ग) **"बोर्ड"** से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) **"आयोग"** से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) **"विभाग"** से राजस्थान राज्यपाल सचिवालय अभिप्रेत है;

(च) **"सीधी भर्ती"** से इन नियमों के भाग-IV में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;

(छ) **"सरकार"** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा का सदस्य"** से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) **"पदोन्नति समिति"** से नियम 32 के अधीन गठित पदोन्नति समिति अभिप्रेत है;

(ञ) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची (अनुसूचियां) अभिप्रेत है;

(ट) **"चयन समिति"** से नियम 28 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(ठ) **"सेवा" या "अनुभव"** से जहाँ कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो;

टिप्पणः सेवा के दौरान ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

(ड) **"सेवा"** से राजस्थान राज्यपाल सचिवालय राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा अभिप्रेत है;

(ढ) **"राज्य"** से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ण) **"अधिष्ठायी नियुक्ति"** से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पणः "इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन" के अन्तर्गत, अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती सम्मिलित होगी; और

(त) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवर्चन के लिए लागू होता है।

भाग 2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.- (1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूचियों के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेः

परन्तु सरकार,-

(क) आवश्यक पाये जाने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) को समय-समय पर सृजित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. **सेवा का प्रारंभिक गठन.-** सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद (पदों) को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर नियमित रूप से भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और

(ग) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग 3

भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती निम्नलिखित रीतियों से अनुसूचियों के स्तम्भ 3 और, यथास्थिति, 4 में यथाउपदर्शित अनुपात में की जायेगी,

(क) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपात के दौरान थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, और इन्हें

भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जायेगा।

7. "**सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.-** (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और इन नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग की, तथा यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के, अध्यधीन रहते हुए,-

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.01.1972 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाई/आतंकवाद के विरुद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा युद्ध हताहत के रूप में घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् किसी घटना में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और सशस्त्र बलों के संबंधित मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके; और

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों/आतंकवाद के विरूद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और गृह/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामरिक कार्यवाही में हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

भर सकेगा:

परन्तु,-

(क) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ख) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत या स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक की विधवा/विधुर या आश्रित तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उसे रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे आश्रित या अन्य आश्रितों में से किसी को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक की मृत्यु या कार्मिक के स्थायी रूप से अशक्तता के समय, आश्रितों में से कोई भी एक पहले से ही केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन पहले से ही नियमित रूप से नियोजित हो:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां अशक्त व्यक्ति या विधवा/विधुर स्वयं के लिए रोजगार चाहता/चाहती है।

(3) स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/ऐसा आश्रित, नियुक्ति के लिए आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक के संबंधित अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय/सेवा मुख्यालयों को, सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा। सामान्य भर्ती नियमों के शिथिलीकरण के लिए आवेदन पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए विचार किया जायेगा कि, संबंधित सेवा मुख्यालय/अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय सम्यक् रूप से सत्यापित करेंगे और आवेदक किसी पद-विशेष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव और आयु सीमा को पूर्ण करता हो तथा सरकारी सेवा के लिए अन्यथा भी अर्हित हो।

(4) उपरोक्त उप-नियम(3) में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ऐसे आश्रित/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को, स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/आश्रित द्वारा धारित अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए, अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में, आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन जिलों में से किसी में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयुक्त द्वारा आवेदन कार्मिक (क-2) विभाग को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) आवेदन में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(क) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम;

(ख) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने से पूर्व सेवाएं दे रहा था/थी;

(ग) युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत घोषित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उसकी मृत्यु की तारीख और स्थान;

(घ) स्थायी अशक्तता के मामले में, स्थायी अशक्तता प्रमाणपत्र (नि:शक्तता प्रमाणपत्र); और

(ङ) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हताएं और मृतक/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक (युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत) के साथ उसका सम्बन्ध।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) **"सशस्त्र बलों"** से भारत संघ की थल सेना, नौसेना और वायु सेना अभिप्रेत हैं।

(ii) **"केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)"** से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बतीय सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल,

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफिल्स, सशस्त्र सीमा बल जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें, अभिप्रेत हैं।

(iii) "**भारतीय तटरक्षक"** से भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत बल अभिप्रेत है।

(iv**)** "आश्रित" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(क) पति/पत्नी; या

(ख) पुत्र/सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक द्वारा उसकी मृत्यु/स्थायी अशक्तता के समय से पूर्व, दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र; या

(ग) अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री, विधवा पुत्री/विच्छिन्न विवाह पुत्री जो सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक पर, पूर्ण रूप से आश्रित है; या

(घ) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का कोई भी अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं हो; या

(ङ) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त अविवाहित कार्मिक के मामले में, माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन।

टिप्पण: "दत्तक पुत्र/पुत्री" से हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम,1956 के अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है। हिन्दू धर्म से भिन्न धर्म वाले आश्रितों के लिए, मामला आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(v) **"स्थायी रूप से अशक्त"** से ऐसा सिपाही/व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यूनतम 40% नि:शक्तता से ग्रस्त है और जिसे थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या, यथास्थिति, भारतीय तटरक्षक के संबंधित अनुमोदन और पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थायी रूप से अशक्त घोषित किया गया है।

8. ऐसे मृतक व्यक्तियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति जिन्हें उत्तराखण्ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया गया.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, ऐसे व्यक्ति, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी था और 2013 की उत्तराखण्ड त्रासदी में मर गया था या जिसे ऐसी त्रासदी में लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया

गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा:-

(i) आश्रित राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो; और

(ii) आश्रित इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो:

परन्तु चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। आश्रित को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसके ना होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी भी एक भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें असफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुमत की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी:

परन्तु यह भी कि इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(2) ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे मृतक के या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति के आश्रितों में से कोई भी एक, मृतक की मृत्यु या ऐसे लापता व्यक्ति को मृत घोषित किये जाने के समय, केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त है:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन चाहती है:

परन्तु यह और कि यदि किसी कुटुम्ब में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मृत हैं या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित कर दिये गये हैं, एक से अधिक है तो, केवल एक आश्रित की अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए ही विचार किया जायेगा।

(3) ऐसा आश्रित नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर आवेदन को अपनी सिफारिशों सहित आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सत्यापन हेतु अग्रेषित करेगा। ऐसे मृतक की मृत्यु या ऐसे मृतक की मृत्यु की घोषणा के सत्यापन के पश्चात् ऐसे आश्रित का आवेदन, उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित

किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्प्ष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए आश्रित से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) पति/पत्नी; या

(ii) पुत्र जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है; या

(iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पुत्री जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है; या

(iv) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं है; या

(v) मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित अविवाहित व्यक्ति के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति पर उसकी मृत्यु के समय पूर्ण रूप से आश्रित था।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जो आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग द्वारा जारी किये गये सहायता पैकेज दिनांक 29.07.2013 के अनुसरण में नियुक्त किये गये हों, राजस्थान विभिन्न सेवा (पांचवा संशोधन) नियम, 2022 के प्रारम्भ की तारीख से, यदि वे इस नियम के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

9. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-सह-योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या यथास्थिति, चयन समिति और पदोन्नति के लिए पदोन्नति समिति द्वारा, तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्ति सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगीः

परन्तु यदि,-

(i) किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा;

(ii) इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रीति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

10. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत की जायेगी। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

परन्तु,-

(i) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

(ii) इस नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को पिछड़े वर्गों या, यथास्थिति, अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, 10 प्रतिशत होगा।

किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका पति/उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व वितीय वर्ष की आय होगी।

12. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला-अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह-महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में नहीं भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

13. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे (वे)/वह खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण: "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने,-

(i) उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद और खेलों के

किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,-

सारणी

क्र.सं.	**अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था**	**टूर्नामेण्ट/ चैम्पियनशिप का नाम**
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियाई ओलम्पिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल; जो सामान्यतः सैफ खेलों के रूप में जाने जाते है।
4.	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल खेल
5.	अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए.से संबद्ध एशियाई खेलकूद परिसंघ	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेलकूद परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल खेलकूद परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/ चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेण्ट के किसी खेलकूद और खेलों में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों की नेशनल गेम्स

/नेशनल पैरा गेम्स या नेशनल चैम्पियनशिप /पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

14. राष्ट्रीयता.- सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह.-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया कोई तिब्बती शरणार्थी हो; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, सिलॉन और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया होः

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा

जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

15. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता के लिए राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

16. रिक्तियों का अवधारण.- (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद इन नियमों या अनुसूचियों में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद नियमों या अनुसूचियों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वोतर वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों को भी जिन्हें पदोन्नति द्वारा वर्ष-वार भरा जाना अपेक्षित था, अवधारित करेगा यदि, ऐसी रिक्तियां अवधारित नहीं की गयी हों और वर्ष में पूर्वतर भरी नहीं गयीं हों, जिनका भरा जाना अपेक्षित था।

17. आयु.- अनुसूचियों में प्रगणित पद (पदों) पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

(i) ऊपरी आयु सीमा को -

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा;

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iii) किन्हीं अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा, बशर्ते कि वह उसकी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;

(v) विधवा और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

स्पष्टीकरणः विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उनसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(vi) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे;

(vii) भूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विस्ट अर्थात् ऐसे रक्षा कार्मिक जो रिजर्व में स्थानांतरित किये गये थे, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी;

(viii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के दौरान आयु सीमा पार कर ली

हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे; और

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था/थी तो उसे आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है;

(x) जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझ जायेगा।

18. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.- अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा:-

(i) अनुसूचियों के स्तम्भ 5 में यथाविहित अर्हता तथा अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु इन नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु,-

(i) जहां चयन, लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व;

(ii) जहां चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व; और

(iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

19. चरित्र.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय से सम्बद्ध न हों और न ही उसके संबंधी हों।

टिप्पण: (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अर्न्तग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पूर्व में सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, 'पश्चात्वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

20. शारीरिक उपयुक्तता.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

21. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों को, जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थिति के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन जो भी हो काम में लाने का दोषी है या आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त, -

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

22. संयाचना.- इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

23. सीधी भर्ती की आवृत्ति.- अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक सरकार यह विनिश्चय न करे कि इन पदों में से किसी पद पर सीधी भर्ती किसी वर्ष-विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

24. आवेदन आमंत्रित करना.- सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली, रिक्तियों को राजपत्र में या उसकी राजकीय वेबसाईट पर या ऐसी अन्य रीति से, जो उनके द्वारा ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के वेतन मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उन्हें विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन से पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

25. आवेदन का प्ररूप.- आवेदन आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

26. आवेदन फीस.- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी फीस जो उनके द्वारा नियत की जाये, ऐसी रीति से, जो उसके/उनके द्वारा उपदर्शित की जाये संदाय करेगा।

27. आवेदनों की संवीक्षा.- आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगाः

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28. चयन समिति.- राज्यपाल का अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अनुसूची III और IV में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु, समय-समय पर एक चयन समिति गठित करेगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	निदेशक (जनजाति कल्याण)-सह-राज्यपाल का संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो उप-सचिव की रैंक से नीचे का ना हो।	सदस्य
3.	नियंत्रक, राजभवन	सदस्य
4.	राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ट्रेड विशेषज्ञ ।	सदस्य
5.	राज्यपाल का उप-सचिव	सदस्य-सचिव

29. आयोग/ बोर्ड/ चयन समिति की सिफारिशें.- आयोग/ बोर्ड या चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, योग्यताक्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगाः

परन्तु आयोग/बोर्ड या, चयन समिति विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने पर अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर की जा सकेगी।

30. नियुक्ति के लिए निरर्हता.- (1) कोई अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु, -

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है;

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा;

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो; और

(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो;

(v) इस उप-नियम के उपबन्ध किसी विधवा और विवाह-विच्छिन्न महिला की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

31. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.- नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 9,10,11,12 और 13 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 29 के अधीन तैयार की गयी सूची में से अभ्यर्थियों का योग्यताक्रम में चयन करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

32. पदोन्नति समिति का गठन.- पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार होगाः-

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद (पदों) के लिएः

1.	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य।	अध्यक्ष
2.	राज्यपाल का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, या उसका नामनिर्देशिती जो राज्यपाल के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
3.	संयुक्त शासन सचिव/शासन उप-सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
4.	राज्यपाल का संयुक्त सचिव/ उप-सचिव	सदस्य-सचिव

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पद (पदों) के लिएः

1.	राज्यपाल का संयुक्त सचिव / उप-सचिव	अध्यक्ष
2.	संयुक्त शासन सचिव/शासन उप-सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
3.	नियंत्रक, राजभवन	सदस्य
4.	राज्यपाल का सहायक सचिव या राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	सदस्य-सचिव

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव, संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारित करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य, या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

33. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) इन नियमों के नियम 16 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चय करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो संबंधित पदों के वर्ग की वरिष्ठता-सह-योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूचियों के स्तंभ 6 में प्रगणित व्यक्ति, चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव संबंधित सुसंगत स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरणः यदि किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद (पदों) पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई

पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:

परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है;

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा आयेगा;

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जायेगाः

परन्तु,-

(i) राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगीः

(ii) यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद (पदों) पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगीः-

(i) रिक्तियों की संख्या	**विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या**
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के बराबर पात्र व्यक्ति।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या-सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या-

सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिए,-

(क) यदि पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो वेतन मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा;

(ख) यदि पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में भिन्न-भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो वेतन मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हों तो केवल तब ही वेतन मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या-सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथाविहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस वर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भी एक सूची तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन के उस तक जिसके लिए समिति की बैठक की गयी, प्रवृत रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता/ होती किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या जिन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग (जहां आयोग सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया है, वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो सरकार द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

34. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर, या तो अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-सह-पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग-6
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

35. सेवा में नियुक्ति.- सेवा में के पद (पदों) पर नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 29 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 33 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

36. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति.- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगाः

परन्तु,

(i) ऐसी कोई नियुक्ति, आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगीः

(ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के कार्मिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के सिवाय, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होते हुए भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा अपेक्षित आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

37.वरिष्ठता.- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगीः

परन्तु,-

(i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 29 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखा गया है;

(ii) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष के दौरान सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा;

(iii) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं;

(iv) एक ही चयन में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे ठीक निम्नतर ग्रेड में है;

(v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दुओं के पूर्ण हो जाने पर, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां जब कभी भी हों, पदोन्नति में इसके पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

38. परिवीक्षा की कालावधि.- (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगाः

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम(1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

39. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.- (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो; और

(iii) राज्यपाल सचिवालय में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह, उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा काल के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरणः- (1) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है:

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति;

(ख) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों;

(ग) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगेः

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

40. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन- प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगाः

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

41. स्थायीकरण. किसी व्यक्ति को, जिसे नियम 38 के अधीन परिवीक्षा पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग-7
वेतन

42. वेतनमान.- सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का वेतन मैट्रिक्स के लेवल में वेतन वह होगा जो नियम 44 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

43. परिवीक्षा के दौरान वेतन.- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से, मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा, जो सरकार दवारा समय-समय पर नियत किया जायेः

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवाक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो अनुज्ञात किया जा सकेगा।

44. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, आदि का विनियमन.- इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगीः-

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथा-संशोधितः

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा- संशोधित;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथा- संशोधितः

(ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित; और

(x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

45. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

46. निरसन और व्यावृत्ति.- समस्त नियम और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

47. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- अपवादिक मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी:

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, जहां आवश्यक हो, आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगेः

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगाः

परन्तु यह भी कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित, प्रमुख सचिव/ सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/ सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जायेगी कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो।

परंतु यह भी कि यदि वर्ष 2023-24 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनुभव या सेवा के अनुभव, या, यथास्थिति, दोनों के अभाव में पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता हो तो, ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा। तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहां शिथिलीकरण केवल एक वर्ष तक के लिए दिया जायेगा। किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नहीं किया जायेगा।

अनुसूची-I

(राज्य सेवा पद)

क्र.सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उप-सचिव (जनजातीय कल्याण)	-	100 प्रतिशत	-	सहायक सचिव	-	-
2.	उप-सचिव (आशु संवर्ग)	-	100 प्रतिशत	-	निजी सचिव	-	-
3.	सहायक सचिव	-	100 प्रतिशत	-	अनुभाग अधिकारी	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	-
4.	निजी सचिव	-	100 प्रतिशत	-	अतिरिक्त निजी सचिव	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	-
5.	अनुभाग अधिकारी	-	100 प्रतिशत	-	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर दो वर्ष का अनुभव।	-

अनुसूची-II
(लिपिकवर्गीय सेवा पद)

क्र.सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक अनुभाग अधिकारी	-	100 प्रतिशत	-	लिपिक ग्रेड-I	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव।	-
2.	लिपिक ग्रेड-I	-	100 प्रतिशत	-	लिपिक ग्रेड-II	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव, स्नातक के लिए तीन वर्ष का अनुभव।	-
3.	अतिरिक्त निजी सचिव	-	100 प्रतिशत	-	निजी सहायक ग्रेड-I	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव।	-

4.	निजी सहायक ग्रेड-I	-	100 प्रतिशत	-	निजी सहायक ग्रेड-II	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव।	-
5.	निजी सहायक ग्रेड-II	100 प्रतिशत, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अधीन विहित स्कीम और पाठ्यविवरण के अनुसार बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।	-	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में यथाअधिकथित अर्हताएं।	-	-	-
6.	लिपिक ग्रेड-II	85 प्रतिशत, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अधीन विहित स्कीम और पाठ्यविवरण के अनुसार बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।	15 प्रतिशत	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में यथाअधिकथित अर्हताएं।	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव और लिपिक ग्रेड-II के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं रखता हो।	-

अनुसूची-III

(अधीनस्थ सेवा पद)

क्र.सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शेफ	-	100 प्रतिशत	-	अंग्रेजी रसोइया	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	-
2.	टेलीफोन ऑपरेटर	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा साथ ही किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से टेलीफोन प्रचालन में प्रशिक्षण।	-	-	-
3.	हाउस कीपर	100 प्रतिशत	-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक	-	-	-

				और होटल प्रबंधन एवं केटरिंग के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से वास-सुविधा प्रचालन और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी और किसी मान्यताप्राप्त फूड क्राफ्ट संस्थान या होटल प्रबंधन एवं केटरिंग के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से हाउस कीपिंग में ट्रेड डिप्लोमा।			
4.	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	100 प्रतिशत	-	स्नातक के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से	-	-	-

				पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री साथ ही किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्था में सहायक पुस्तकालया ध्यक्ष के पद पर पांच वर्ष का अनुभव।			
5.	सहायक पुस्तकालया ध्यक्ष	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा कम्प्यूटर पर टंकण का ज्ञान रखता हो। अधिमानता उनको दी जायेगी जो पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के	-	-	-

				साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो।			
6.	मैकेनिक-सह-चालक	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा साथ ही मोटर मैकेनिक में डिप्लोमा तथा भारी एवं हल्के यान की चालन अनुज्ञप्ति।	-	-	-
7.	चालक	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की	हैल्पर /खलासी/ चपरासी	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को	-

				विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है।		चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है।	
8.	स्टुवर्ड	-	100 प्रतिशत	-	बटलर	स्तंभ 6 में उल्लिखित	-

						पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	
9.	बटलर	-	100 प्रतिशत	-	वेटर	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	-
10.	मेसन	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ आईटीआई से मेसन ट्रेड में प्रमाणपत्र रखता हो।	-	-	-
11.	पोषिशसाज	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ आईटीआई से पोषिशसाज ट्रेड में प्रमाणपत्र रखता हो।	-	-	-
12.	अंग्रेजी रसोइया	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	किसी मान्यताप्राप्त	देशी रसोइया	स्तंभ 6 में उल्लिखित	-

				बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा साथ में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अन्यत्र कुकिंग ट्रेड में प्रमाणपत्र ।		पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	
13.	देशी रसोइया	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा साथ में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नेटिव कुकिंग ट्रेड में प्रमाणपत्र ।	मशालची	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	-
14.	वाशरमैन (धोबी)	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और कपड़े धोने का ज्ञान और अनुभव।	-	-	-
15.	रंगसाज	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से	-	-	-

				सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और आईटीआई से रंग-रोगन में प्रमाणपत्र।			
16.	बढ़ई	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और आईटीआई से बढ़ईगिरी में प्रमाणपत्र।	-	-	-
17.	इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और आईटीआई से विद्युत में प्रमाणपत्र।	-	-	-
18.	प्लमबर	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और	-	-	-

				प्लमबिंग कार्य में ज्ञान और अनुभव।			
19.	वेटर	100 प्रतिशत	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा।	-	-	-

अनुसूची-IV
(चतुर्थ श्रेणी सेवा)

क्र.सं.	**पद का नाम**	**प्रतिशत सहित भर्ती की रीति**		**सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**पदोन्नति**		**अभ्युक्तियां**
		सीधी भर्ती	**पदोन्नति**		**पद जिससे पदोन्नति की जानी है**	**पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	जमादार/ दफ्तरी/ प्रधान माली	-	100 प्रतिशत	-	चपरासी/ फर्राश/ माली/ मशालची/ चौकीदार/ खलासी/ परिचारक/ भिश्ती/ मैसेन्जर/ स्वीपर/ मेट/ बेलदार/ हैल्पर	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव।	-
2.	चपरासी/ फर्राश/	100	-	किसी	-	-	-

	माली/ मशालची/ चौकीदार/ खलासी/ परिचारक/भिश्ती/ मैसेन्जर/ स्वीपर/ मेट/ बेलदार/ हैल्पर	प्रतिशत		मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा।			

[सं. एफ.1(1)डीओपी/ए-II/2024]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.